

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(चिकित्सा प्रकोष्ठ)

सं. एफ.7(20) 12-13/एमसी/एनएमएस/पार्ट./683

दिनांक: 26.09.2013

परिपत्र

विषय: कर्मचारी/ पेंशनर की अस्पताल में मृत्यु हो जाने की स्थिति में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति।

काफी संख्या में कर्मचारियों/ पेंशनरों की मृत्यु इलाज के दौरान अस्पताल में हो जाती है। अचानक बीमारी/ आपातकालीन स्थितियों में रोगी को प्रायः सबसे नजदीक वाले अस्पताल में ले जाया जाता है। ऐसे मामलों में दावों की प्रतिपूर्ति सेंट स्टीफन अस्पताल/ सीजीएचएस दरों पर ग्राह्यता के अनुसार की जाती है और काफी धनराशि कर्मचारी द्वारा उसकी जेब से अदा की जाती है क्योंकि सामान्यतया अस्पतालों के प्रभार काफी अधिक होते हैं। यद्यपि कुछ मामलों में जहां इस आशय का अनुरोध सक्षम प्राधिकारी को प्राप्त होता है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों में छूट देते हुए मामले के गुण-अवगुण के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती है फिर भी (कई मामलों में खासकर चतुर्थ श्रेणी के अशिक्षित कर्मचारियों के मामले में) परिवार को धनराशि का वहन करना होता है। कर्मचारियों के हित में एक समरूप नीति अपनाने के लिए कुलपति इस बात का सहर्ष आदेश देते हैं कि अस्पताल के दर्जे पर विचार किए वगैर पूरी धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाए यदि केवल कर्मचारी/ पेंशनर की मृत्यु इलाज के दौरान अस्पताल में हो जाती है (पति/पत्नी अथवा आश्रित इसमें शामिल नहीं हैं)। इस प्रकार के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है।

प्रतिलिपि:

1. उप राज्यपाल, दिल्ली के ओएसडी
2. कुलपति डीडीए के ओएसडी
3. वित्त सदस्य, डीडीए के ओएसडी
4. ईएम, डीडीए के निजी सचिव
5. सभी प्रधान आयुक्त
6. मुख्य सतर्कता अधिकारी
7. सीएओ, डीडीए के निजी सचिव
8. मुख्य विधिक सलाहकार/ मुख्य वास्तुकार

9. आयुक्त सह-सचिव, डीडीए
10. सभी आयुक्त डीडीए,
11. सभी मुख्य अभियंता, डीडीए (मुख्यालय)
12. वित्तीय सलाहकार (बागवानी)/ निदेशक (एलसी)/निदेशक (आईए)/ निदेशक (वित्त)/ निदेशक (एमएम)/ निदेशक (पी)/ निदेशक (निर्माण)/ निदेशक (डब्ल्यू/सी)/ निदेशक (बागवानी) एसई एवं एनडब्ल्यू
13. सभी उप मुख्य लेखाधिकारी (मुख्यालय), जोन, सतर्कता, एलसी/ उप वित्तीय सलाहकार (एच)-I एवं II
14. वरिष्ठ लेखाधिकारी (कंटीजेंसी)/ पीएओ (ईडब्ल्यू) / वरिष्ठ लेखाधिकारी (पीई), लेखाधिकारी (एम)-I, II
15. गार्ड फाइल
16. सूचना पट्ट
17. निदेशक (सिस्टम) को इस कार्यालय ज्ञापन को डीडीए की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



(संतोष कुमारी)
लेखाधिकारी (चिकित्सा प्रकोष्ठ)